गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2022 01.04.2022

1. लिस्टिंग अनुपालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051 **स्क्रिप कोड : गेल – ईक्यू**	2. लिस्टिंग अनुपालन, बीएसई लिमिटेड फ्लोर 1, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001 **स्क्रिप कोड: 532155**

विषय : <u>पोस्टल बैलेट नोटिस के प्रेषण की पूर्णता का समाचार पत्र में प्रकाशन</u>

महोदय/महोदया,

यह कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 110 और नियम 22 के अनुपालन में है। उपर्युक्त उद्धृत विषय के संदर्भ में कृपया संलग्नक प्राप्त करें।

उपर्युक्त आपके सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु है ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. के. झा)
कंपनी सचिव

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

नक्कालों से सावधान

ग्राहक कृप्या ध्यान दें, हमारी जानकारी में आया है कि कुछ दुकानदार भाई अपनी कमीशन के लालच में 'डा. ऑर्थो' तेल मांगने पर, उसकी जगह मिलते-जुलते नाम, विज्ञापनों वाले प्रोड्क्ट ग्राहकों को दे रहे हैं। कृप्या जागरूक रहें, ऐसी नकली दवाईयाँ सेहत को खराब कर सकती हैं। इसलिए पूरा नाम 'डा. ऑर्थो' पढ़ कर व दिखाई गई पैकिंग से मिला कर ही लें। डा. ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल का अन्य किसी प्रोड्क्ट एवं विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है।

Dr. Juneja's डा.ऑर्थो® तेल

FREE HOME DELIVERY USE CODE DIVISA

पूर्वी निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगाया : गोपाल राय

कचरे के पहाड़ में आग लगने का मामला, विधानसभा समिति ने निगम आयुक्त से पूछे सवाल

सख्ती

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि पूर्वी निगम की लापरवाही से गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगी है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने पूर्वी निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के वक्त जो कर्मचारी-अधिकारी ड्यूटी पर थे, उनकी लापरवाही को देखते उनपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने बुधवार को आग लगने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण के मानदंडों में बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी गई।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट में 28 मार्च को दोपहर आग लगने की घटना सामने आई थी। इस वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए सांस लेने की दिक्कत पैदा हो गई। विधानसभा के अंदर वहां के स्थानीय विधायक ने सवाल उठाए। घटना के संज्ञान में आने पर डीपीसीसी को 24 घंटे के अंदर घटनाक्रम की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए थे।

रिपोर्ट में ये लापरवाही सामने आई : गोपाल राय ने कहा कि डीपीसीसी की टीम ने कल रिपोर्ट सबमिट की थी लेकिन वह छोटी रिपोर्ट थी। इसके बाद दोबारा डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए। डीपीसीसी ने बुधवार को आग लगने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण के जिन मानदंडों को वहां पर पालन करने की जरूरत है, उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी गई। गोपाल राय ने कहा कि वहां पर बायो माइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि इस तरह की आग लगने की संभावना कम हो सके। लेकिन, वहां 25 के बजाए केवल 21 ट्रोमेल ही काम करते पाए गए। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन जो अनिवार्य है, वह लगा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है।

इस साइट को मॉनिटर करने के लिए 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिनमें से सिर्फ 17 कार्य करते हुए पाए गए हैं। यह सीसीटीवी कैमरे इस वजह से लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई आग लगे तो तुरंत संज्ञान में आए। उसको तुरंत नियंत्रित किया जा सके। लगभग 400 वर्ग मीटर तक आग लगी और फैल गई।

48 घंटे हो गए आग बुझने के बाद भी वहां से लगातार गैस और धुआं निकल रहा है। सीपीसीबी ने निर्देश दिया था कि उस लैंडफिल साइट के चारों तरफ बाउंड्री की जाए, लेकिन अबतक बाउंड्री का काम पूरा नहीं हुआ है। इससे बाहर से कोई अनाधिकृत व्यक्ति आकर वहां इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके।

विधानसभा समिति ने निगम आयुक्त से जवाब मांगे: दिल्ली विधानसभा समिति की ओर से निगम आयुक्त से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे गए। पर्यावरण समिति की अध्यक्ष आतिशी के निर्देश पर निगम आयुक्त को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रोजाना लाए जा रहे कूड़े की मात्रा बताने को कहा गया है।

इसके अलावा रोजाना किए जा रहे कूड़े के निस्तारण की मात्रा बताने, गाज़ीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग का कारण बताने, पिछले दो साल में कितनी बार गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग का आंकड़ा बताने, आग की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी देने और लैंडफिल साइट को साफ करने करने के लिए उठाए गए कदम व इसे पूरी तरह साफ करने में लगने वाले समय के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं।

गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी अभी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। तीसरे दिन बुधवार को भी कूड़े के पहाड़ से धुआं उठता रहा। इससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ● हिन्दुस्तान

तीसरे दिन भी सुलगता रहा कूड़े का पहाड़

नई दिल्ली (का.सं.)। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर कचरे के पहाड़ में बुधवार को तीसरे दिन भी आग सुलगती रही। आग बुझाने का कार्य जारी रहा। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आग को पूरी तरह से काबू करने में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं, लापरवाही पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पूर्वी निगम पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। कचरे के पहाड़ पर बुधवार को आग सुलग रही थी और धुआं निकल रहा था। आसपास रहने वालों ने सांस में तकलीफ की शिकायत की। जेसीबी की कई गाड़ियां आग को गीले कचरे से ढंकने का कार्य कर रही थी। यहां मौजूद कुछ कर्मचारियों का कहना था कि गीला कचरा आग बुझाने में ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। आग नीचे दबकर बुझ रही है।

क्या कदम उठाए गए

दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति की अध्यक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने निगम आयुक्त को यह पूछने के लिए तलब किया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट को साफ करने और आग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। निगम की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने डिग्रियां प्रदान कीं

नई दिल्ली (व.सं.)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह यूनिवर्सिटी में भी 'बिजनेस ब्लास्टर्स' प्रोग्राम शुरू किए जाए, जिससे बच्चे जब कॉलेज में जाएं, तो उनके आइडिया न रुके। यूनिवर्सिटी में हर बच्चे पर काम करना चाहिए कि आगे वो क्या करने जा रहा है। बिना कैरियर प्रोग्राम के एक भी बच्चा बाहर निकलना नहीं चाहिए। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

द्वारका सेक्टर-16 स्थित गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में बुधवार को छात्रा को डिग्री प्रदान करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस दौरान आईपीयू के वाइस चांसलर महेश वर्मा मौजूद रहे। ● हिन्दुस्तान

दिल्ली की बिजली हरियाणा स्थानान्तरित करने पर रोक

आदेश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को राष्ट्रीय राजधानी से हरियाणा ट्रांसफर करने के केन्द्र के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने दादरी-द्वितीय संयंत्र से दूसरे राज्य में बिजली की आपूर्ति के हस्तांतरण के संबंध में बिजली मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया और केन्द्र सरकार के वकील को निर्देश के लिए समय दिया।

29 मार्च के आदेश पर रोक रहेगी : याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर इसे लागू किया जाता है, तो राष्ट्रीय राजधानी की 23 प्रतिशत आबादी अगले 24 घंटों में बिजली से वंचित हो जाएगी। पीठ ने आदेश दिया है कि इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई होती, तब तक के लिए 29 मार्च 2022 के आक्षेपित आदेश पर रोक रहेगी।

पीठ रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में किए गए अनुमानों पर भी ध्यान देती है, जहां याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यदि लागू होने की अनुमति दी जाती है, तो शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को 12 बजे से लागू होगा। पीठ ने कहा कि अगर आक्षेपित आदेश गुरुवार यानी 31 मार्च 2022 को सुबह 10:00 बजे से लागू होगा तो राजधानी में बिजली की कमी हो जाएगी, इस लिए इसे लागू करने से पहले बिजली की व्यवस्था करनी होगी। जबकि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अधिकारियों के पास शक्ति को पुनः आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है जो याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन का हिस्सा है और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

इसने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली आत्मसमर्पण करने के संबंध में आदेश में जारी किया है। अगर इस आदेश पर विचार किया गया तो दिल्ली में बिजली संकट बढ़ जाएगा।

नियामक आयोग के आदेश को नोट किया

पीठ ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के आदेश को भी नोट किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयोग ने दादरी द्वितीय से अन्य राज्यों को एनसीटी के हिस्से को फिर से आवंटित करने या आत्मसमर्पण करने के लिए बिजली मंत्रालय को कोई अनुरोध नहीं किया था और बिजली एनटीपीसी के साथ याचिकाकर्ता डिस्कॉम्स के बीच निष्पादित खरीद समझौता जो 30 जुलाई, 2035 तक वैध है।

शहर 30s

राशन की दुकान पर छापा मारा

नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति विभाग को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित एक राशन की दुकान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) डीलर द्वारा दो ई-पीओएस डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

'सरकार ने बच्चों को 12 करोड़ की छात्रवृत्ति बांटी'

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे निर्माण श्रमिकों के 15,791 बच्चों को 12.35 करोड़ रूपये की स्कॉलरशिप दी। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह राशि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के सपनों को उड़ान देगी और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगी।

छात्रों को लेकर एसओपी जारी

नई दिल्ली। देश के मेंटर कार्यक्रम के तहत छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। जिसकी स्थापना बाल उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण को लेकर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की है। शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र जारी किया है। मेंटर के आचरण संहिता को लेकर अनुशंसित किया गया है।

स्कूलों में जल्द तैयार हो संसाधन केंद्र

नई दिल्ली। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों में संसाधन केंद्र को जल्द तैयार किया जाए। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की समावेशी शिक्षा शाखा ने परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें तत्काल आधार पर केंद्र तैयार करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिसमें स्कूलों में स्पीच थेरेपी (साउंड प्रूफ केबिन) तैयार करने से लेकर रेलिंग सहित कई दूसरे कार्य लंबित है। जल्द पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

किस्तों में बकाया किराया देने का आदेश

- अदालत ने कोरोना के दौरान किराया न दे पाने वाले किरायेदार को निर्देश दिया

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। लॉकडाउन के दौरान नियमित तौर पर किराये की भरपाई ना कर पाने वाले किरायेदार को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने निर्देश दिया है कि वह किस्तों में किराये की भरपाई करे।

तीस हजारी अदालत ने किराये की रकम को पौने तीन लाख से घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के आर्थिक हालात खराब थे। किरायेदार पीड़ित नहीं हैं, बल्कि मकान मालिक के लिए भी मुश्किल भरा दौर था। इसलिए बीच का रास्ता निकालकर यह आदेश दिया जा रहा है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। किरायेदार की ओर से दलील दी गई थी कि लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी जिस वजह से वह किराये की भरपाई नहीं कर पाया। मकान मालिक ने किराया वसूली के साथ ही फ्लैट खाली कराने के लिए याचिका दायर की थी।

अदालत ने कहा कि किराया समझौता पत्र के अनुसार अभी किरायेदार उक्त फ्लैट में अतिरिक्त समय तक रह सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इससे दो मकसद पूरे होंगे। दोनों को परेशानी नहीं होगी।

क्यूआर कोड स्कैन कर मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे

चैत्र नवरात्र

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी के मंदिरों में दो अप्रैल से चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा तो किसी मंदिर में नारियल और प्रसाद चढ़ाने पर रोक रहेगी। मंदिरों में भजन-कीर्तन से लेकर भंडारे का आयोजन होगा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोविड नियमों को पालन करना होगा।

झंडेवाला देवी मंदिर के प्रचार प्रसार विभाग के प्रमुख नंद किशोर सेठी ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने के लिए गणेश, सेवादार और गरुड़ सहित एक सामान्य द्वार तैयार किया जा रहा है। जिसमें सामान्य द्वार को छोड़कर श्रद्धालुओं को क्यूआर कोड से प्रवेश मिलेगा। जिसके लिए उन्हें पहले मंदिर की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। एक अप्रैल से वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्र पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पिछले दो वर्षों से चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद रहे थे। कोविड नियमों के तहत दर्शन की व्यवस्था की गई है। दर्शन के लिए मास्क जरूरी है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइज किया जाएगा। मंदिर में किसी भी रूप में प्रसाद व अन्य वस्तु ले जाने पर रोक रहेगी। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में नहीं बैठ सकेंगे। निकासी द्वारा पैकेट में प्रसाद वितरित करेंगे। सोशल मीडिया और मंदिर की ऐप के माध्यम से भी दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर 160 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, ताकि नजर रखी जा सके।

एक लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

छतरपुर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकार डॉ. किशोर चावला ने बताया कि 50 हजार से लेकर एक लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद को लेकर मंदिर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। नारियल और प्रसाद चढ़ाने पर रोक है। चुनरी और फूल चढ़ा सकेंगे। सैनेटाइजर टनल से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। देसी-विदेशी फूलों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन होगा।

विकास कुमार डीएमआरसी के एमडी बने

नई दिल्ली (प्र.सं.)। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने ट्वीट कर दी। वह आधिकारिक तौर पर एक अप्रैल से कम करेंगे। डीएमआरसी के एमडी मंगू सिंह का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उन्हें पांच वर्ष का कार्यकाल दिया गया है।

झुग्गी में भी नल का पानी मिलेगा

नई दिल्ली (प्र.सं.)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र स्थित 18 झुग्गी-झोपड़ी कलस्टर में भी नल का पानी पहुंचाया जाएगा। बुधवार दिन में परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मई में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। पालिका कंवेशन सेंटर में केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया।

www.Lntecc.com

L&T HAS BUILT AND COMMISSIONED INDIA'S LARGEST WASTEWATER TREATMENT PLANT WITH A2O TECHNOLOGY!

In yet another significant nation-building initiative, Larsen & Toubro, the technology, manufacturing, engineering, and construction conglomerate has successfully built and commissioned the country's largest Sewage Treatment Plant (STP) with A2O technology at Coronation Pillar in Delhi, with the honour of partnering with the Government of India and the Government of Delhi. This defining infrastructure reaffirms the Company's capability to design, develop and maintain wastewater infrastructure.

Known for making things that make India proud, L&T is proud to have built another national landmark, to transform lives and bring smiles to the faces of millions.

ANOTHER NATION-BUILDING PROJECT DEDICATED TO THE PEOPLE OF DELHI.

The Sewage Treatment Plant has a lot going for it…
- Will treat 10% of municipal wastewater generated in Delhi per day
- Equipped with state-of-the-art biological nutrient removal facilities
- Designed to treat wastewater in line with the latest National Green Tribunal guidelines
- Energy-efficient; produces the electricity through a biogas power generation plant to operate the plant and share excess with the grid
- Has India's tallest sludge digesters equipped with sequential gas mixing technology
- Pollutant parameters entirely monitored and maintained through SCADA automation

Regd. Office: Larsen & Toubro Limited, L&T House, N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, INDIA. CIN: L99999MH1946PLC004768

LARSEN & TOUBRO

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों) या कुछ समय के लिए उक्त के पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 44 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन) के अनुसरण एवं अनुपालन में तथा आम सभा पर लागू सचिवीय मानक (एसएस-2) की सीमा तक पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 ("एमसीए परिपत्र") (किसी भी वैधानिक संशोधन या कुछ समय के लिए उक्त के पुनः अधिनियमित और समय-समय पर यथा संशोधित) और अन्य लागू कानूनों के अनुसरण में पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 24.03.2022 में निर्धारित साधारण/विशेष संकल्प(पों) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के द्वारा पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा पारित किए जाने का प्रस्ताव है।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश कंपनी के सदस्यों, जिनकी ई-मेल आईडी(यां) केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या आर एंड टीए के साथ पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे गए हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.evotingindia.com पर भी होस्ट किया गया है।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की डिपॉजिटरी सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022, (पूर्वाह्न 9.00 बजे) (भारतीय मानक समय) को शुरू होगी और 30 अप्रैल, 2022 (अपराह्न 5.00 बजे) (भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। तत्पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि तथा समय के उपरांत अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान भौतिक रूप में या डिमैटिरियल रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 से ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका :

1) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी के साथ सदस्य का नाम, पैन कार्ड (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) ई-मेल द्वारा shareholders@gail.co.in अथवा admin@mcsregistrars.com पर उपलब्ध कराएं।

2) डिमैटिरियल रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं।

श्री सचिन अग्रवाल, साझेदार, अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को पोस्टल बैलेट प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान का परिणाम 3 मई, 2022 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट https://gailonline.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड https://www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./-
(ए.के. झा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.03.2022
ई-मेल : shareholders@gail.co.in

पंजीकृत कार्यालय : 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
सीआईएन : L40200DL1984GOI018976
फोन : 011-26182955, फैक्स : 011-26185941

www.gailonline.com #EnergizingPossibilities हमें फॉलो करें